सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

# राजस्थान सरकार
## सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक :–F2(8860)/DoIT/Estt./19/ 157

जयपुर, दिनांक : 27.03.2023

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

निम्नलिखित सूचना सहायक को उनके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु पत्राचार के माध्यम से अनुमति चाही गई है।

| क्र. सं. | कर्मचारी का नाम | पदस्थापन विभाग | जिसकी अनुमति चाही गई | विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | स्वाति शर्मा, (New Batch 2018) | मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीकानेर | MSc. CS | VMOU, Kota |

उपरोक्त सूचना सहायकों को पत्राचार माध्यम से अग्रिम अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प. 9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहतशास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

–sd–
(विवेक कुमार)
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराज.)

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, संबंधित विभाग।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित सूचना सहायक।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी